

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर
कैम्प कोर्ट- ग्राम पंचायत टहटडा
पीठासीन अधिकारी श्री सोहनराम चौधरी आर.ए.एस.

वाद संख्या 3/42/17

अनुवान-रामपाल पुत्र भौरा जाति बैरवानिवासी पांडे रूपबास वगैरा बनाम तहसीलदार रैणी ।

धारा-136 एल.आर.एक्ट



01.05.2018 :-आज यह पत्रावली लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत टहटडा पर पेश हुई। तहसीलदार रैणी व पटवारी हल्का के अनुसार प्रकरण मे जर्जे शुद्धि पत्र के दुरुस्ती कर दी गई है। जिसका नामान्तकरण संख्या 476 दिनांक 01.05.2018 को दर्ज व स्वीकार हो चूका है। इसलिये प्रकरण में आगे कार्यवाही अपेक्षित नही होने के कारण कार्यवाही प्रकरण ड्रॉप की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्तिजमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2018 को मेरे द्वारा लोक अदालत कैम्प कोर्ट टहटडा तहसील रैणी पर सुनाया गया।

(सोहनराम चौधरी आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर
कैम्प कोर्ट- ग्राम पंचायत टहटडा